भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मंडल संभाग [सर्किट] भोपाल म०प्र०

85

R 676 -II-/12 रिवीजन क्रमांक------/2012

1. सेवाराम आ. स्व. श्री हिम्मत सिंह वयस्क
2. गोपीलाल आ, स्व. श्री हिम्मत सिंह वयस्क
3. गोविन्द सिंह आ. स्व. हिम्मत सिंह वयस्क

सभी निवासीगण-ग्राम-बनखेड़ा टप्पा दोराहा,
तहसील श्यामपुर, जिला- सीहोर [म०प्र०] ------- रिवीजनकर्तागण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा- जिलाधीश,
टप्पा दोराहा तहसीलदार जिला सीहोर --------उत्तरदाता

रिवीजन अन्तर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०संहिता-1959.

22/03/12
(Lakhan Singh Dhaley Ad.)

महोदय जी,

रिवीजनकर्तागण माननीय अधिनस्थ तहसीलदार महोदय, तहसील श्यामपुर जिला-सीहोर म.प्र. के द्वारा की गई नप्ती [सीमाकंन] दिनांक 16/01/12 से दुखित होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर रिवीजन प्रस्तुत है:-

।। प्रकरणके तथ्य ।।

1. यहकि रिवीजनकर्तागण ग्राम बरखेड़ा तहसील श्यामपुर टप्पा दोराहा, जिला-सीहोर म.प्र. के निवासी है एवं रिवीजनकर्तागण की खसरा क्रमांक-311, 317, 318/1/3 रकबा 1.55 एकड़ एवं खसरा नं०-312 रकबा0.44 एकड़ कुल 1.99एकड़ कृषिभूमि ग्राम -बरखेड़ा में स्थितहै।

2. यह कि उक्त कृषिभूमि का सीमाकंन दिनांक 18/5/10 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा किया जाकर रिवीजनकर्तागण की भूमि पर 0.10 एकड़ भूमि पर थाना अहमदपुर एवं 0.03 एकड़ पर आगनबाड़ी केन्द्र एवं 0.04एकड़ भूमि भाग पर पी.डब्ल्यू.डी, के अन्तर्गत कब्जे में पाई थी ।

-2- निरन्तर पर...

सेवाराम

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-676-II/12 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	**प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण** का अवलोकन किया गया । यह **निगरानी तहसीलदार, तहसील श्यामपुर** जिला सीहोर द्वारा **पारित आदेश दिनांक 16-01-2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में** प्रस्तुत की गई है । **मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन)** अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को **मध्यप्रदेश राजपत्र** (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक **25-09-2018 से** लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील श्यामपुर जिला **सीहोर** न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: **संशोधित** अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण **सुनवाई** हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है । कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 **भू0रा0 सं0 की** धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई **कर यथोचित** आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक **07-10-2019 को** कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	